बिहार सरकार,

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

---

(361)

पत्रांक- 2628 आ॰वा॰ पटना-15, दिनांक 8 अगस्त, 2003

प्र॰6 वि॰प॰18/03

प्रेषक,

श्री गिरीश सिन्हा,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- छात्रावास में रह रहे छात्रों को किरासन तेल आपूर्त्ति करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि राज्य को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से मासिक तेल आवंटन कम प्राप्त होने तथा किरासन तेल वितरण हेतु निरूपित सिद्धान्त के आलोक में विगत कुछ महीनों से छात्रावास में रह रहे छात्रों को किरासन तेल की नियमित आपूर्त्ति में कठिनाई हो रही है जिसके फलस्वरूप उनका पठन-पाठन का कार्य बाधित हो रहा है । विभिन्न जिलों में छात्रों द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष धरना, नारेबाजी तथा अन्य विरोधात्मक कदम उठाये जाने के कारण जिला प्रशासन के समक्ष विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है । छात्रावासों में रह रहे छात्रों की नियमित पठन-पाठन के निमित्त सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में विभागीय पत्रांक 3657 दिनांक 19.9.96 के कंडिका 4 में विनिहित प्रावधान के अनुरूप जिला के मासिक कोटा के अन्तर्गत कार्यरत ठेला भेन्डरों को विशेष रूप से आदेशित किया जाय कि जिन वार्डों के लिये उनकी अनुज्ञप्तियाँ निर्गत हैं उक्त वार्ड में स्थित छात्रावासों के छात्रों को समानुपातिक रूप में तेल की आपूर्त्ति करें । एक से अधिक ठेला भेन्डर यदि उस वार्ड में कार्यरत हों और छात्रावास अवस्थित है तो एक ठेला भेन्डर को विशेष रूप से छात्रों को ही तेल उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(ह॰) 9.8.03

सरकार के सचिव ।

7/8